

4.11.19

M. S. P. S.
K.

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर।
वकील कमी ने जाहिर किया कि कमी व अधिकारी
के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। कमी प्रकरण
आगे चलाना नहीं चाहता है। नोट उएस दर्ज कर
प्रकरण में कार्यवाही खातिज का निवेदन किया।
चूंकि पक्षकार न में राजीनामा हो चुकी है और मृगि
बोर्ड विवाद नहीं रहने से प्रकरण में सभी
स्तर पर कार्यवाही खातिज हो जाती है। मिथल पैसाक
शुभ होकर नंबर से काम की जाकर दखिल पत्र
हो *af*

